दलित अधिकार केन्द्र

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018

दलित घोषणा पत्र

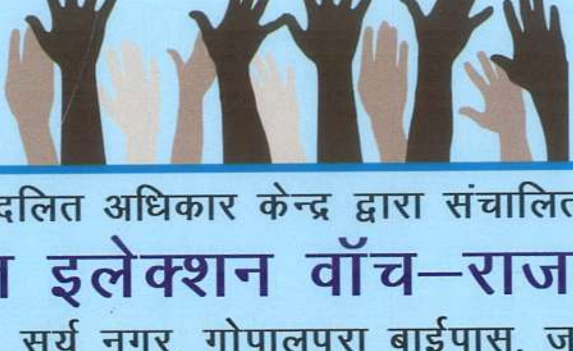

दलित अधिकार केन्द्र द्वारा संचालित

दलित इलेक्शन वॉच–राजस्थान

112, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
टेलीफैक्स–0141–2504837, 2504119
Email : cdrjaipur@gmail.com, rajasthancdr@yahoo.com

राजस्थान विधानसभा चुनाव–2018

दलित घोषणा–पत्र

भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस प्रकार गुड़ की भेली के पास चींटियाँ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि गुड़ की भेली को खाने के लिए एकत्रित होती हैं उसी प्रकार से सभी राजनैतिक दल दलितों के विकास के लिए नही, बल्कि वोट बटोरने के लिए दलितों के पास आते हैं। बाबा साहब का उक्त कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। क्योंकि राजनैतिक दल के प्रतिनिधि जनता का विकास कम व सत्ता का सुख ज्यादा भोगने में विश्वास करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज भी दलितों की बस्तियां में मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली, चिकित्सा सुविधा, आम रास्ता, रोड, रोजगार, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, उचित मूल्य की दुकान एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाऐं आदि की वही दयनीय स्थिति है जो आज से 70 वर्ष पहले थी। आखिर मतदाता हमेशा चुनावों में विकास के नाम पर ठगा जाता है। दलित मतदाता हमेशा विकास से वंचित रहता आया है।

प्रायः यह देखा गया है कि चुनावों के दौरान सभी राजनैतिक दल सत्ता में आने पर अपना–अपना घोषणा पत्र लागू करने का दावा करते हैं। कई राजनैतिक दल देश की भोली–भाली जनता को मूर्ख बनाने से भी पीछे नही रहते व अपने घोषणा पत्रों में अव्यवहारिक घोषणाऐं करते है जिन्हें लागू करना सम्भव नही है फिर भी घोषणा पत्र में थोथी घोषणाऐं कर सत्ता हासिल कर लेते है जिसका दुशः परिणाम जनता को पांच साल तक भोगना पड़ता है।

राज्य में कई दलों की सरकार आई व गई इस दौरान कई मुख्यमंत्री बने लेकिन किसी भी राजनैतिक दल ने जातिगत भेदभाव एवं आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए कोई ठोस रणनीति व कार्य योजना तैयार नही की। राजनैतिक दलों ने दलित मुद्दों को कभी गंभीरता

से नही लिया। राजस्थान में दलित आज भी शोषण व उत्पीड़न का शिकार हैं। धार्मिक पूजा स्थल व सार्वजनिक पनघट उसकी पहूँच के दूर हैं। उन्हें अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने व शुरू करने पर भय लगता है उन्हें प्रभावशाली जातियों के कट्टर प्रतिरोध का सामना करना पडता हैं। कई जगहों पर चाय की दुकानों पर उनके लिए अलग गिलासों की व्यवस्था, उनके लिए मन्दिर में पूजा अर्चना निषेध, दूल्हे को घोड़ी से उतारना, अत्याचार व अपमानित करने में स्थानीय पुलिस का सहभागी होना, जैसा परम्परागत तरीके से चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहने की सीख देना ये ऐसे उदाहरण हैं जो गांवो में आजादी के 71 वर्ष बाद आज भी विद्यमान हैं।

चुनावों से कुछ समय पहले, चुनावों के दौरान, उम्मीदवार दलितों के बच्चों को गोद में लेकर खिलाना, फोटो खिचाना, दलितों के झौंपडी में जाकर रूखी रोटी खाना, गरीब की टूटी चारपाई पर बैठ कर दलितों के वोट बटोरने व सहानुभूमि प्राप्त करने का प्रयास करना, ग्रामीण परिवेश के कपडे पहनने में कोई गुरेज नहीं करते। यहां तक की मतदाताओं के दण्डवंत प्रणाम करने में भी नही चूकते लेकिन विजयी होने के बाद में यह राजनेता दलित मतदाता को भूल जाते है और सत्ता में चूर हो जाते हैं। अगर कोई दलित, महिला, गरीब–गुर्बा आदमी अपनी समस्या लेकर चुने हुये विधायको, मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता के पास जाता है तो यही लोग उनको पहचानने से मना कर देते हैं। पांच वर्ष तक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर नही देखते। ऐसी स्थिति देखकर दलितों, महिलाओं व वंचित वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस करता है।

दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को राजस्थान विधानसभा के 200 विधानसभा सीटों के चुनाव सम्पन्न हो रहे हैं। चुनाव में एक बार फिर दलित मतदाता इस कसमकस में फंसा हुआ है कि क्या इस बार राजनेताओं व राजनैतिक दलों के द्वारा मतदाता ठगा जायेगा या स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधि चुनकर आयेगें जो दलितो को विकास करे ? हम सभी राजनैतिक दलों के मुखियाओं, प्रतिनिधियों से पुरजोर शब्दों में

मांग करते हैं कि निम्नलिखित बुनियादी व महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने–अपने घोषणा–पत्र में शामिल करे तथा इस बात के लिए भी आश्वस्त करें कि यदि उनका दल सरकार बनाने में सफल होता है, तो हमारी निम्न मांगो को प्राथमिकता से लागू करेंगे।हमारी मांग है कि:–

मुख्यमंत्री दलित या आदिवासी समुदाय से हो :–

- देखा गया है कि प्रदेश में सामाजिक न्याय, समानता, गरिमा, स्वाभिमान, सम्मान जैसी बाते गौण होती जा रही हैं जिसकी वजह से प्रदेश का दलित व आदिवासी समुदाय जातिगत भेदभाव जाति आधारित शोषण का शिकार हो रहा है। सत्ता में कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय, जातिगत भेदभाव व छुआछूत के उन्मूलन के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नही किया जिसके कारण से दलित व आदिवासी समुदाय आज भी काफी पिछडा हुआ है। अतः दलित अधिकार केन्द्र मांग करता है कि दलितों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान गरीमा सुनिश्चित करने के लिए आगामी चुनावों में मुख्यमंत्री दलित या आदिवासी समुदाय से बनाया जावे।

आगामी मुख्यमंत्री व मंत्रीमण्डल के सदस्य सामंतवादी और प्रतिगामी विचारधारा का पोषक व समर्थक न हो :–

- मतदान प्रक्रिया प्रजातंत्र का सबसे बडा उत्सव है जिसमें देश व राज्य का मुखिया जनता चुनती है। लेकिन पिछले कई वर्षो से देखा जा रहा है कि बात प्रजातंत्र की करते है लेकिन मुख्यमंत्री व कतिपय मंत्री, विधायक आदि सामंतवादी व्यवस्था के पोषक है जिसके कारण से जो सामंतवादी व्यवस्था जो राजशाही शासन के समय होती थी वह पुनः उभरने लगी है जो विकास व सामाजिक न्याय पाने की दिशा में सबसे बडी बाधक है। अतः हम मांग करते है कि आगामी मुख्यमंत्री व मंत्रीमण्डल के सदस्य सामंतवादी सोच और प्रतिगामी विचारधारा के पोषक व समर्थक न हो।

राजस्थान में दलित भूमि सुधार करने के लिए निम्न कदम

उठाये जायें :–

1. राज्य में राजस्थान सीलिंग एक्ट 1955 को प्रभावी रूप से लागू किया जाये:–राज्य में लैण्ड सीलिंग एक्ट व अन्य भूमि सुधारों को सख्ती से लागू किया जाये तथा इस प्रक्रिया में सरप्लस भूमि को सरकार तुरन्त अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों में वितरित करे जिससे कि भूमिहीनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके। इसके अलावा भूदान लैण्ड, भूदान ग्राम, की जमीनों को सरकार अधिग्रहित कर अपने कब्जे में ले और नया कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि को भूमिहीन परिवारों में वितरित करने की व्यवस्था करे।
2. भूमि सम्बन्धित विवादों को तुरन्त निपटाने के लिए राज्य में राजस्व फास्ट ट्रेक न्यायाधिकरण का गठन किया जाये :– दलितों के भूमि विवाद विशेष कर उनकी कृषि भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी मुकदमे राजस्व व फौजदारी न्यायालयो में लम्बे समय से लाखों की तादात में विचाराधीन हैं। राज्य सरकार ने कई बार बजट भाषण में राजस्थान में शीघ्र ही ऐसे फास्टट्रेक कोर्ट या प्राधिकरणों की स्थापना करने की घोषणा की है लेकिन अभी तक कोई गठन नही किया गया है। अतः हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार कोर्टों में भूमि सम्बन्धित लम्बित विवादों का शीघ्र निपटारा करने के लिए दलित भूमि फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन करे।
3. बेघरों व सदियों से बसे वंचितों व दलितों को पट्टा व आवासीय भूमि दी जाये :– राजकर्मचारी (पटवारी, गिरदावर, राजस्व अधिकारी) वर्षो से पंचायत, नगरपालिका या अन्य सरकारी भूमि पर बसे दलितों के राजस्व रिकोर्ड में भूमि की किस्म व खसरा नं. परिवर्तन कर ऐसे दलितों को अतिक्रमणकारी घोषित कर बेदखल करने का प्रयास करते हैं, जो की कानूनी, नैतिक एवं मानवीय रूप से गलत है, इसलिए ऐसे राजस्व अधिकारियों का पता कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे व विशेष अभियान चलाकर आवासीय पट्टे जारी किये जायें ताकि उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित कर बेदखल न किया जावे।
4. कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड को सही व भौतिक सत्यापन कर

वास्तविकता के आधार पर कम्पयूटरराईज किया जाये:– प्रत्येक गांव में राजस्व रिकार्ड का सही ढंग से संचालन नही हो रहा है जिसके कारण भूमि विवादो का समाधान नही होता है और दलितों को अनावश्यक रूप से न्यायालयों में जाना पडता है। अतैव राज्य सरकार इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर भूमि का तहसील, जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धीकरण अभियान चला कर राजस्व रिकार्ड का कम्प्यूटरराईज व डिजिटाईलजेशन किया जाये।

दलित व आदिवासीयों को मिले पूर्ण व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु सुझाव :–

1. शिक्षा के अधिकार के कानून (Right to Education) को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निजि विद्यालयों में 25 प्रतिशत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य किया जावे तथा वे छात्र–छात्राऐं ड्रॉप आउट नही हो इस बात को सुनिश्चित किया जावे। विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समितियों की नियमित बैठके आयोजित की जावे, समिति में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के अभिभावकों, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, समुदाय का प्रतिनिधित्व रखा जावे व इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावें
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सरकार द्वारा संचालित आवासीय छात्रावास, शिक्षण संस्थाओं में पूरे मापदण्ड के अनुसार संसाधन, स्टाफ, मॉनिटरिंग सिस्टम, आदि का अभाव पाया जाता है जिसके कारण से जिस उद्देश्य के लिए छात्रावास व शिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे है वह उद्देश्य पूरा नही हो रहा है। अतः शिक्षण संस्थान, छात्रावासों की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हेतु व सामाजिक अन्वेषण (सोशल ऑडिट) करने का प्रावधान किया जावे जिसमें सामाजिक संगठन व व्यक्तियों का सहयोग लिया जावे व पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रखने, बजट का प्रावधान किया जावे ताकि छात्रावास व शिक्षण संस्थाओं में सुधार हो सके।
3. शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान में दलितों की स्थिति काफी दयनीय

है, इसलिए प्रदेश में सभी विद्यालयों में समान शिक्षा व समान पाठ्यक्रम के आधार पर निःशुल्क व गुणवता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जावे।

4. दिनांक 2 अप्रेल 2018 को दलितों द्वारा भारत बंद के दौरान पुलिस व सरकार द्वारा दलित विद्यार्थियों, युवकों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किये गये सभी मामले वापिस लिए जावे। कुछ दबंग जाति, असामाजिक तत्व, दलित विरोधी व संविधान विरोधी संस्था व व्यक्तियों द्वारा एस.सी / एस.टी.एक्ट, संविधान व आरक्षण के खिलाफ भ्रामक, तथ्यहीन सोशल मीडिया द्वारा दूषित प्रचार कर दलितों व गैर दलितों के बीच में खाई पैदा कर रहे है जिसके कारण से पूरे प्रदेश में दलितों व गैर दलितों में वैमनस्यता व द्वेषता तथा समरसता व भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। अतः दलित अधिकार केन्द्र मांग करता है कि प्रदेश में दलितों व गैर दलितों में भाईचारा व गरिमापूर्ण समरसता स्थापित करने के लिए सरकार व मानवतावादी संस्थाओं द्वारा विशेष अभियान चलाया जावे।

अन्य

1. प्रदेश में नामी–ग्रामी अस्पताल करोडों की भूमि को कोडियों के भाव में सरकार से अलॉट करा कर अस्पताल संचालित कर रहे है। निजि अस्पतालों को यह भूमि इसलिए दी गई थी की वो दलित, गरीब, वंचित बीमार व्यक्ति का निःशुल्क ईलाज करने हेतु कोटा रखेगे लेकिन निजि अस्पताल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गरीब, दलित जरूरतमंद व्यक्ति अस्पताल के पास पहुँच नहीं सकता। आम जनता व पात्र व्यक्तियों को इस बात की जानकारी भी नहीं है जिसके कारण से निजि अस्पताल मोटी रकम वसूलने के चक्कर में गरीबों का ईलाज नही करते। अतः इस बार का प्रचार–प्रसार किया जावे। अस्पताल प्रशासन अस्पताल के बाहर इस सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना लगाये तथा गरीबो का ईलाज करने के लिए निजि अस्पताल प्रशासन को बाध्य किया जावे।
2. प्रायः देखा गया है कि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित आदिवासी व दलित महिलाऐं है जो भूमि धारकों की भूमि पर मेहनत मजदूरी

कर अपना जीवन निर्वाह करती है, उसके बदल में उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती और ना ही उनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा, ऋण माफ करने की विशेष योजना, अनुदान, देकर किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है लेकिन उन खेतों पर काम करने वाले दलित खेतीहर मजदूरों को कोई लाभ नही मिलता क्योंकी वह मजदूर है उनके नाम भूमि नही है, वह असंगठित है। अतः ऐसे मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, के लिए कठोर कानून बनाये जावे। जिससे खेतीहर मजदूरों को भी किसानों की तरह लाभान्वित किया जावे।

3. 1977 में संविधान में संशोधन कर मूल अधिकारों के साथ–साथ नागरिकों के मूल कर्तव्य भी जोडे गये है जिनमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करने के बारे में लिखा गया है तथा महिलाओं का आदर कर राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट नही करने की प्रतिबद्धता है लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्व राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए संविधान को बदलने की बात करते हैं जो गलत है। साथ ही समाज में सद्भावना व भाईचारा बढाने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है लेकिन सद्भावना को बढाने काम कम व इसके विपरीत नुकसान पहुंचाने का प्रयास ज्यादा कर रहे है जो संविधान के खिलाफ है। ऐसी परम्परा, प्रथाऐं जिनके माध्यम से विकास बाधित होता है उन पर रोक लगाई जावे। अतः संविधान में वर्णित मूल कर्त्तव्यों के बारे में सरकार व सिविल सोसाइटी जनता में ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार करे।

4. पिछले वर्षो से देखा जा रहा है कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने-के लिए सरकारी विभागों, अर्द्ध सरकारी विभागों में संविदा व तदर्थ आधार व ठेके पर भर्तिया की जा रही है जिसके कारण से आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया है। अतः हम मांग करते है कि संविदा, ठेका प्रणाली तथा तदर्थ आधार पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगाकर संविधान द्वारा प्रदत आरक्षण व्यवस्था को ईमानदारी से लागू कर सीधी भर्तिया की जावे। दलित समुदाय पर क्रिमिलियर के सिद्धांत को लागू न किया जावे। बैकलोग को भी

पूरा किया जावे।

5. दलित अधिकार केन्द्र सभी राजनैतिक दलो से यह पुरजोर अपील करता है कि विधानसभा चुनावों में प्रतिष्ठित, अनुभवी अनुसूचित जाति के नेताओं व व्यक्तियों को सामान्य सीटों से अपने उम्मीदवार बनाये। प्रायः देखा गया है कि चुनावों में प्रमुख राजनैतिक दल (बी.जे.पी. व कॉग्रेस) /पार्टीयों ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामान्य सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नही किया जबकि दलितों में कई प्रतिष्ठित व अनुभवी नेता है जो (बी.जे.पी. व कॉग्रेस) में लम्बे समय से जुडे होने के बाद भी उनको सामान्य सीट से पार्टी अपना उम्मीदवार नही बनाती। ऐसे उम्मीदवारों को अगर राजनैतिक पार्टीया सामान्य सीट से टिकिट दे तो वे विजयी हो सकते है।

6. राजस्थान में दलितों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रदेश के सभी प्राकृतिक व अन्य उत्पादन संसाधनों, आय के स्रोतों विशेष कर जल, जंगल और जमीन पर दलितों की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। गैर सरकारी उपक्रमों, निजी संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं, चिकित्सालयों, स्कूलों, कॉलेजों, तथा सहकारी संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

7. सभी राजनैतिक दल ऐसे प्रतिनिधि को टिकिट दे जो अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम 2015, संविधान व आरक्षण का समर्थन करते हो सामाजिक न्याय प्रिय तथा जातिगत भेदभाव के खिलाफ व समाज में गरिमा पूर्ण सद्भावना के पक्षधर हो।

8. प्रायः यह देखा गया है कि किसी भी पार्टी का विधायक या सासंद प्रतिवर्ष अपने कोष की निर्धारित राशि को पूरा खर्च नही करता इसलिए दलित अधिकार केन्द्र मांग करता है कि विधायक कोष के बजट को प्रतिवर्ष विकास पर खर्च किया जावे तथा विधायक कोटे का 20 प्रतिशत बजट दलितों के मौहल्लों व गांवों में खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जावे। गोद लिये गांवो का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित हो।

9. प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ समाचार पत्र, न्यूज चैनल, संस्था प्रतिनिधि, धार्मिक संगठन, व्यक्ति, सोशल मीडिया आरक्षण व संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अप्रमाणित, आधारहीन, ऊल–जूलूल व मंनगढंत बातों का द्वैषतापूर्ण भ्रामक प्रचार प्रसार करते है ऐसे लोगों पर कानूनी रोक लगाई जावे ताकि प्रदेश की जनता में सद्भाव, समरसता, शांति व्यवस्था कायम रहे।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत व जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत आधार पर उत्पीडन व भेदभाव जारी है जिसके कारण समाज में असंतोष एवं असुरक्षा की भावना बढ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाईचारा कम हुआ है जो देश के विकास व राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बडी बाधा है। उक्त समस्या के लिए किसी भी सरकार ने छुआछूत को मिटाने के लिए जातिगत भेदभाव को गम्भीरता से नही लिया जिसके कारण शहरों में भी अदृश्य रूप से छुआछूत बढ रही है। दलित छात्रों, दलित मजदूरो को रोजगार की तलाश में शहरो में मकान किराये से नही मिलता जो दलितों के लिए गम्भीर समस्या है। अतः दलित अधिकार केन्द्र मांग करता है कि छुआछूत को मिटाने के लिए सरकार व सभ्य समाज द्वारा विशेष व्यापक अभियान चलाया जावे।

11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि योजनाओं का लाभ दलितों, महिलाओं व वंचित वर्ग को मिल सके।

12. दलितों के सामाजिक व आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृति के लिए ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावे व मिलने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति प्रति वर्ष मिलना सुनिश्चित किया जावे तथा छात्रवृति की राशि को उपभोक्ता मूल्य सूंचकाक के समान बढावा जावे। छात्रवृति नही मिलने की स्थिति में अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।

13. कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित जाति

उप योजना व जनजाति उपयोजना को राज्य सरकार कानून बनाकर दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जावे।

14. कर्नाटक सरकार की तर्ज पर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नियम 1995 के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार आदि गम्भीर प्रकरणों में पीड़ित व उसके आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर ग्रेड III ग्रेड IV सरकारी नौकरी देकर स्थाई पुर्नवास किया जावे इसके लिए सरकार विशेष नियम बनाये ताकि प्रभावित दलित पीडितों व उनके आश्रितों का आर्थिक सशक्तिकरण एवं पुनर्वास किया जा सके।

15. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम 2013 का अक्षरशः प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

16. दलित अत्याचारों के विचारण के लिये जिलो में समुचित संख्या में अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित की जाये ताकि प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार 60 दिवस में हो सके और लम्बित मुकदमों की पैरवी के लिये विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी दलित व मानवीय दृष्किोण रखने वाले अभिभाषकों में से की जाये तथा उनको गहन प्रशिक्षण दिया जावे ताकि वे प्रभावी रूप से पैरवी कर सकें, केस मॉनिटरिंग में भी उनकी राय ली जाये।

17. किसी भी मामले में एफ.आर. लगाने से पूर्व पुलिस पीड़ित पक्ष को आवश्यक रूप से सुने तथा उस मामले को जिला मॉनिटरिंग कमेटियों में समीक्षा के लिये रखे और उसे किसी भी हालत में डराने धमकाने तथा समझौता कराने को मजबूर नही किया जाये बल्कि संवेदनशीलता से व्यवहार किया जावे।

18. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम 2015 कानून की कठोरता और ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन किया जावे तथा इस कानून के तहत जिला मॉनिटरिंग कमेटियों को सक्रिय बनाने, ब्लॉक मॉनिटरिंग व सतर्कता समितियों का प्रदेश स्तर पर गठन करने व पुलिस जवाबदेही कमेटियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जावे।

दलित महिलाओं के विकास के बिना समग्र विकास की बात करना बेमानी है अतः दलित महिलाओं के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए निम्न प्रयास करने की आवश्यकता है :–

1. राष्ट्रीय पोषाहार (मिड डे मील) कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में खाना पकाने, पोषाहार बनाने का काम करने का तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महानरेगा) कार्यक्रमों में पानी पिलाने का काम दलित महिलाओं का सौंपा जावे।
2. समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलने वाली आगंन बाडियों में प्रचेताऐं व परिचारकायें दलित वर्ग से ली जावे।
3. हमारी यह भी मांग है कि राजनैतिक व प्रशासन के स्तर पर दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राज्य की सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक पार्टिया दलित महिला प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर राज्य विधानसभा चुनाव में खडे होने का अवसर उपलब्ध करवाये। सभी राजनैतिक दलों को दलित महिलाओं को चुनाव में टिकट देकर प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे दलित समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से उठा सकें और राज्य तथा देश में गरीबों का उच्चतम स्तर पर प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकें।
4. भूमि एक सामूहिक विरासत है जिसे लाभ के लिए अधिग्रहित किया जाना जटिल मुद्दा है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के भूमि पर अधिकार को लेकर मजबूत मानक बनाये जाने चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति व प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं को कानूनी अधिकार देते हुए उनका कठोरता से पालन होना चाहिए। राजस्थान में सम्पूर्ण भूमि सुधार कानून बनाये जाने की महती आवश्यकता है जिसमें महिला अधिकारों की पहचान करके उनकी आजीविका के साधन के रूप में उनकी पहुँच बनाई जा सके तथा दलित महिलाओं को खातेदारी व काश्तकारी अधिकार प्रदान किये जाये।
5. अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता नहीं मिलती,

महिला आबादी का बडा हिस्सा, जिनमें से भी ज्यादातर दलित समुदाय से जुडी महिलाऐं हैं, घरेलू कार्यों, खेतीहर मजदूर, स्व व्यवसायी या घरों पर आधारित कार्यों से जुडी है। महिलाओं के अवैतनिक कार्यों की भी पहचान मिलनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को पहचानते हुए महिला कर्मियों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी व अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी दिये जायें।

6. आज भी प्रदेश में समान कार्यों के लिए महिलाओं को लिंग के आधार पर कम मजदूरी दी जाती है जबकि समान कार्य के बदले समान मजदूरी दी जानी चाहिए। ज्यादातर क्षेत्रों में महिलाऐं पुरूषों के समान कार्य करके भी उनसे कम मजदूरी पाती हैं। इसके अलावा संगठित व असगंठित क्षेत्रों में कार्यरत केजुअल, ठेके पर काम करने वाले व अस्थाई श्रमिकों व महिलाओं को स्थाई कर न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए।

7. दलित अधिकार केन्द्र यह मांग करता है कि यदि वास्तव में दलितों की स्थिति सुधारनी है तो उन्हें गुणवता पूर्ण शिक्षा देकर समाज की मुख्य–धारा में लाने के लिए निजी क्षेत्र में जा रही शिक्षा पर रोक लगाई जावे ।

राज्य सरकार आगामी वर्ष 2019 को दलित व महिला अत्याचार मुक्त व अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए पूरे वर्ष प्रदेशभर में विशेष व सघन अभियान चलाया जावे व वर्ष 2019 को दलित अत्याचार उन्मूलन वर्ष घोषित किया जावे

1. जनजाति क्षेत्र के सभी निवासियों को समान श्रेणी मे माना जाए तथा इन में ए.पी.एल. व बी.पी.एल. के भेद को समाप्त कर सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाये जाये।

2. राजस्थान पंचायतीराज उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 (पेसा) को गम्भीरता से लागू किया जाए इसके नियम उप नियमों का निर्माण जल्दी किया जावे।

3. गांवो में आधी जनजाति आबादी होने पर उन्हें क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र के लाभ दिये जाये।
4. वन भूमि मान्यता कानून 2005 के अनुसार आदिवासियों और वनवासियों को उनके अधिकार दिए जाएं, इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाये जाये।
5. आदिवासी क्षेत्रो में सरकारी कर्मचारियों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे।
6. आदिवासी क्षेत्रों में लघुवन उपज कहीं भी बेचने का अधिकार दिया जाए इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए वन उपजों का समर्थन मूल्य तय किया जाए।
7. आदिवासी युवकों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के इंतजाम किए जायें।
8. आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को संसाधनों पर उनके अधिकारों को संरक्षित करने का हक दिया जाए।
9. आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी को भूमि हस्तांरण पर रोक लगाई जाये।

घुमन्तू समुदाय की नागरिकता, पहचान, सामाजिक सुरक्षा व आजीविका सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रयास करने की आवश्यकता है –

1. राजस्थान के पारंपरिक घुमंतू समुदायों के हितों को ध्यान रखने के लिए घुमंतू समुदाय के हितों के लिए स्थाई आयोग की स्थापना की जाये।
2. घुमन्तू समुदाय के लोगो को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड व कृषि योग्य भूमि दी जाये अगर वो पहले से ही कहीं काबिज हैं तो उनकी बस्तियों को नियमित किया जाए।
3. राज्य में पशु नीति बनाई जाए पिछले सालों में घुमन्तू समुदायों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमें वापस लिए जायें।
4. राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के तहत फर्जी मुकदमों की

पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जावे। इस अधिनियम के दुरूपयोग के मद्देनजर इसमें संशोधन के लिए भी समीक्षा की जाए।

5. जिला स्तर पर घुमंतू आवासीय विद्यालय स्थापित हो तथा अन्यत्र बसे घुमन्तों लोगों को इनके बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जावे।
6. घुमंतू समुदाय के अस्तित्व, संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान के संरक्षण व संवर्धन के लिए सांस्कृतिक अकादमी बनाई जाये।

सभी राजनैतिक दल छुआछूत उन्मूलन के लिए ठोस रणनीति तैयार करे तथा अपने–अपने घोषणा पत्र में ''छुआछूत उन्मूलन'' करने की घोषणा को प्राथमिकता से छापे

सभी राजनैतिक दलो से विनम्र अपील

अतः आप से हम पुरजोर शब्दों में मांग करते है कि आप अपनी पार्टी के सिद्धान्तों, छवि व जनता से जुडी हुई उम्मीदों व आंकाक्षाओं को ध्यान में रखते हुये अपनी पार्टी के घोषणा–पत्र में उक्त बिन्दुओं को प्राथमिकता से जोडें तथा आपसे यह भी उम्मीद है कि यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो दलित घोषणा पत्र के मुद्दों को प्रभावी रूप से लागू करेगी। इसी विश्वास के साथ।

भवदीय

(पी.एल.मीमरौठ) संरक्षक दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर	(सतीश कुमार) निदेशक दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर	(आर.के. आंकोदिया) पूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग

(आर.के. सक्सेना)
पूर्व आई.जी.जेल
जयपुर

(कविता श्रीवास्तव)
महासचिव पी.यू.सी.एल.
जयपुर

(प्रो. नारायण बारेठ)
वरिष्ठ पत्रकार जयपुर
हरदेव जोशी पत्रकारिता
विश्वविद्यालय

(किशोर असवाल)
रिटायर्ड आर.ए.एस.
जयपुर

(निसार अहमद)
बजट समन्वयक
राज. बजट अध्ययन केन्द्र

(मोहन लाल लाखीवाल)
अध्यक्ष
बंधुवा मजदूर समस्या समाधान
एवं अनुसंधान संस्था, जयपुर

(ग्रिजेश दिनकर)
राज्य समन्वयक
दलित महिला मंच, जयपुर

(भगवान सहाय डोरिया)
प्रशासक
दलित अधिकार केन्द्र
जयपुर

(विनय कुमार बैरवा)
दलित अधिकार केन्द्र
जयपुर

(जगदीश चन्द वर्मा)
समन्वयक
दलित अधिकार केन्द्र
अलवर

ज्ञान चन्द
परसा पालड़ी, जयपुर
मो. 9829009431

(नरेन्द्र कुमार)
क्षेत्रिय प्रबन्धक
एक्शनएडा इण्डिया

(सवाई सिंह)
अध्यक्ष
समग्र सेवा संघ, जयपुर

(मानचन्द खण्डेला)
महामंत्री
सिटीजन ऐसोफॉर राईटस
जयपुर

(राजा राम भादू)
जयपुर
समान्तर संस्थान जयपुर

(मीठालाल जाटव)
राज्य संयोजक
दलित इलेक्शन वॉच

(बाबूलाल बैरवा)
एडवोकेट
जयपुर

(पूजा सिंह)
दलित महिला मंच
जयपुर

(सुनीता देवी बैरवा)
समन्वयक
दलित अधिकार केन्द्र
दौसा

(द्रोपदी जोनवाल)
दलित महिला मंच
दौसा

(लालाराम भडाना)
दलित कार्यकर्ता
भरतपुर

गजेन्द्र बोहरा
पूर्व पार्षद, मालपुरा
मो. 9828059629

(डॉ. एम.एल. परिहार)
दलित लेखक व
सामाजिक कार्यकर्ता,जयपुर

(वेद व्यास)
संरक्षक, भाईचारा
फाउण्डेशन, जयपुर

(विजय गोयल)
सचिव
रिसर्च इन्टीटॅयूट ऑफ
ह्यूमन राइटस, जयपुर

(कमल टॉक)
समन्वयक
सूचना का अधिकार अभियान

(चन्दा लाल बैरवा)
कार्यक्रम समन्वयक
दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर

(महेश केन)
दलित कार्यकर्ता
भरतपुर

(मुकेश मेहरा)
दलित अधिकार केन्द्र
जयपुर

(इन्दिरा सोलंकी)
दलित महिला मंच
अजमेर

(अर्चना पालीवाल)
दलित महिला मंच
सीकर

बनैसिंह
अलवर
मो. 9828487231

कोदर लाल बुनकर
बांसवाड़ा
मो. 9468722810

(उदाराम मेघवाल)
पूर्व प्रधान
बाडमेर

(शान्ति देवी)
अध्यक्ष
दलित महिला मंच

(प्रेमलता सैनी)
महिला कार्यकर्ता
अलवर

(मोहनी देवी)
दलित महिला मंच
भरतपुर

(राकेश वाल्मिकी)
राजस्थान वाल्मिकी विकास मंच
जयपुर

कैलाश चिडीवाल
दोलतखेड़ा, अजमेर
मो.9983417673

महावीर सिंह भाटी
एडवोकेट, पाली
मो. 9602921650

सतीश लहरी
धौलपुर
मो. 7689806981

चेतन मेघवाल
फलोदी
मो. 941325154

सिस्टर अरोडा
कौथून, कोटा
मो. 9414520583

प्रताप सिंह चौहान
एडवोकेट सीकर
मो. 9414902735

जमना मेघवाल
उदयपुर
मो. 9413285525

लक्ष्मण बडेरा
बाडमेर
मो. 9414391464

नारायण मेघवाल
जायल, सिरोही
मो. 9214677690

सोहन लाल भाटी
प्रतापपुरा, राजसमन्द
मो. 9414289296

निम्बा राम मेघवाल
शिव, बाडमेर
मो.98769576848

बंशी बैरवा
प्रयास, दुदू
मो. 9829246164

मदन लाल टांक
कानोता, जयपुर
मो. 9829134690

सीताराम बैरवा
चकवाडा
मो.9828329371

शिशपाल बारूपाल
टिब्बी, हनुमानगढ
मो. 9829145961

रामोतार बैरवा
कानोता, जयपुर
मो. 9950555008

त्रिलोक राज बेनिवाल
फागी जयपुर
मो. 9660414019

भागचन्द
किशनपुरा, टोंक
मो. 9799264677

डॉ.रामकुमार वर्मा
चुरू
मो. 9414086800

श्रवण लाल बैरवा
सोयला, अजमेर
मो. 8003535159

बजरंग मेघवाल
हनुमानगढ
मो. 9660024600

कृष्ण कुमार मेघवाल
सियाणा, जालौर
मो. 9602677532

गुलाब चन्द शेरावत
पौख, झुन्झुनु
मो. 9660452535

दलित अधिकार केन्द्र के बारे में .....

दलित अधिकार केन्द्र एक सन्दर्भ केन्द्र है जो राज्य स्तर पर सन् 2002 से दलितों की गरिमा, स्वाभिमान, मानवाधिकारों की रक्षा, आजीविका, जातिगत अत्याचार व भेदभाव निस्तारण के लिए सतत् प्रयासरत है।

दलित अधिकार केन्द्र दलित व महिला कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन कर भारतीय संविधान तथा अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त आर्थिक एवं न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। दलित अधिकार केन्द्र दलित व महिला अत्याचारों की मॉनिटरिंग कर गम्भीर प्रकरणों में फैक्ट फाइडिंग करता है तथा पीड़ितों को न्याय की पहुँच हेतु पुलिस प्रशासन, सरकार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के साथ पैरवी करता है। दलित व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दलित अधिकार केन्द्र द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर वंचित वर्ग के मुख्य धारा में लाने के लिए सक्रिय प्रयास किया जाता है। इसी के साथ उनके जमीनों और आजीविका अधिकारों पर सरकार एवं नीतिनिर्धारकों के साथ संवाद स्थापित करता है।

दलित अधिकार केन्द्र मानवाधिकार एवं सामुदायिक संगठनों, क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों, नागर समाज, अधिवक्ताओं, मीडिया, जनप्रतिनिधियों के साथ नेटवर्क स्थापित कर साझा प्रयास द्वारा छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एवं दलित आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान में दलितों का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

- डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार–प्रसार करना
- संविधान प्रदत्त अधिकारों व दलितों के लिए बनाये गये कानूनों तथा प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वित करवाना
- दलित व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न को रोकने के लिए उनका क्षमतावर्धन करना
- समुदाय आधारित संगठनों एवं गैर सरकारी दलित संगठनों के साथ नेटवर्किंग
- दलित मुद्दों पर सरकार, प्रशासन व पुलिस के साथ पैरवी करना
- दलितों में गरिमा एवं सम्मान की भावना जागृत करना
- दलितों की कृषि एवं आवासीय भूमि के साथ आजीविका आधारित अधिकारों को सुनिश्चित करवाना
- सरकार की योजनाओं में दलितों की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास करना आदि

निर्भय होकर करे मतदान
स्वच्छ लोकतंत्र का होगा निर्माण